

**DISTRICT AND SESSIONS JUDGE DIVISION
IN THE COURT OF DEEPAK KUMAR-I**
Addl. District and Sessions judge-II cum special judge
Vigilance.

**Arbitration Money Excution Case No -
195/2023**

**M/S CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
FINANCE COIMPANY LIMITED.**

**V/S
KANHAIYA KUMAR AND OTHER**

15-05-2026

आवेदक की ओर से वाद वापसी हेतु आवेदन दिया गया। वाद पुकार पर आवेदक की ओर से विद्वान अभिवक्ता उपस्थित हुए एवं निवेदन किये कि आवेदक को आगे केश नहीं लडना हैं। अतः वाद वापसी के आधार पर वाद खारीज किया जायें। अभिलेख का अवलोकन किया आवेदक के विद्वान अभिवक्ता को सुना। चुकी आवेदक वाद वापस करना चाहते हैं अतः आवेदक का वाद वापसी के आधार पर खारीज किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करे।


(Deepak Kumar-I)

जिला न्यायाधीश द्वितीय,
भागलपुर।